न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र प्र.सं. 102 / 2024 जीसीएमएस नं. : 2024 / 213 राजाराम बनाम सरकार अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 – 151 सिविल प्रक्रिया संहिता	नम्बर व तारीख अहकाम
24.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुंए कथन किया कि प्रार्थी को प्रकरण की तारीख के संबंध में ज्ञान नहीं था क्योंकि पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर आई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी समय पर प्रार्थी को सूचना नहीं दी गयी। अनूपगढ़ आकर अधिवक्ता मुकर्र करने पर न्यायालय से अपील प्रकरण के दिनांक 26.07.2024 अदम हाजरी अदम पैरवी में निस्तारित होने का ज्ञान हुआ। प्रार्थी सद्भावी है। प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में गैरहाजिर नहीं रहे है। आदेश दिनांक 26.07.2024 को अपास्त कर अपील पुनः स्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली प्र.सं. 88 / 2023 राजाराम आदि बनाम स्टेट अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 26.07.2024 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके अधिवक्ता श्रीगंगानगर में नियुक्त थे और उन्हें पत्रावली अनूपगढ़ हस्तांतरण होने का ज्ञान नहीं था। परन्तु मूल पत्रावली प्र.सं. 88 / 2023 का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 08.05.2024 को सूर्यप्रकाश जो कि मूल अपील में अपीलार्थी सं. 2 है की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेव सैन ने वकालतनामा पेश किया और अधिवक्ता आगे पेशीयों पर हाजिर आते रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी राजाराम जो कि मूल अपील प्रकरण में अपीलार्थी सं. 1 के रूप में दर्ज है की मृत्यु की सूचना रिकार्ड पर दिनांक 27.07.2023 को ही आ चुकी है। हस्तगत प्रार्थना पत्र मृतक की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो कि पोषणीय नहीं है। दिनांक 26.07.2024 को अधिवक्ता एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़